समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

निगरानी-6136/2018/राजगढ़ /भू.रा. प्रकरण क्र. निगरानी- / /2018

1. कंवरलाल आ0 श्री काशीराम
2. विक्रमसिहं आ0 श्री करणसिहं

निवासी ग्राम धामन्दा तहसील सारंगपुर
जिला राजगढ म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

अभिभावक श्री ... द्वारा आज दिनांक ... को पेश।

राजेन्द्र आ0 श्री रणजीतसिहं
निवासी धामन्दा तहसील सारंगपुर
जिला राजगढ म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क 540/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12/03/18 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धामन्दा में आवेदकगण नाम पर विभिन्न भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । आवेदकगण द्वारा अपने परिवार के मध्य पैतृक भूमि का नियमानुसार बटवारा कर दिया गया है । तथा बटवारें के उपरान्त परिवार के सदस्य अपनी-अपनी भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है । बटवारें के उपरान्त आवेदक क0 1 पत्नी श्रीमती रतनबाई एवं आवेदक क0 2 के पुत्र प्रेमसिहं द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि पर सिचाई हेतु कपिल धारा कूप योजना के अन्तर्गत कुए खुदवाये गये । कुए खुदवाये जाने के उपरान्त अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय सारगंपुर के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया किया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने हितबद्ध पक्षो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण क0 46/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30/05/16 के द्वारा विवादित राशि वसूली करने के साथ ही साथ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अपर कलेक्टर महोदय ने आवेदकगण द्वारा उठाई गयी आपत्तियो एंव प्रकरण कि परिस्थितियो पर नियमानुसार विचार किये बिना ही विचाराधीन आदेश के द्वारा विवादित राशि कि वसूली आवेदकगण से करने के आदेश दिये । अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी जो विचाराधीन आदेश के द्वारा निरस्त कि गयी ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6136/2018/राजगढ़/भू0रा0

कंवरलाल आदि विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा दिनांक 21–6–2019 को कायमी के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार गया। 2/ आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 540/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रशासनिक आदेश पारित कर कपिलधारा कूप के अन्तर्गत प्राप्त शासकीय राशि आवेदक के द्वारा अवैधानिक रूप से प्राप्त करने के कारण सहायता राशि को शासन पक्ष में जमा करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। इस प्रकरण में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की किस धारा के तहत आदेश पारित किया है यह आवेदक अभिभाषक दर्शाने असमर्थ रहे है। प्रशासनिक आदेश को आवेदक द्वारा संहिता की धारा 50 में क्षेत्राधिकारविहीन चुनौती दी गई है। फलस्वरूप यह निगरानी क्षेत्राधिकार के बाहर होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 24/6/19 सदस्य	